

भारत सरकार  
शिक्षा मंत्रालय  
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं.-1334  
उत्तर देने की तारीख-08.12.2025

सरकारी विद्यालयों में शौचालय

†1334. श्री दीपक अधिकारी (देव):

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क:

(क) देश में गैर-कार्यशील उपयोग योग्य नहीं और उपयोग योग्य शौचालयों वाले सरकारी विद्यालयों के प्रतिशत का राज्यसंघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में राज्यसंघ राज्यक्षेत्र-वार कतने विद्यालय ऐसे हैं जिनमें लड़कियों के लिए उपयोग करने योग्य शौचालय नहीं हैं तथा ऐसे कतने शौचालय हैं जो उपयोग में आ रहे हैं/नहीं आ रहे हैं; और

(ग) क्या सरकार ने देश के सरकारी स्कूलों में उपयोग करने योग्य शौचालय बनाने का कोई लक्ष्य रखा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री  
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख): यूडाइज+ के अनुसार, वर्ष 2024-25 के लिए शौचालय सुवधा, कार्यात्मक शौचालय सुवधा, बालिकाओं हेतु शौचालय सुवधा और बालकाओं हेतु कार्यात्मक शौचालय सुवधा युक्त सरकारी स्कूलों का राज्यसंघ राज्य क्षेत्र-वार प्रतिशत [https://www.education.gov.in/en/parl\\_ques](https://www.education.gov.in/en/parl_ques) पर उपलब्ध है।

(ग): शिक्षा सुवधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने वर्ष 2018-19 से स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत केंद्र प्रायोजित योजना समग्र शिक्षा शुरू की है। समग्र शिक्षा के तहत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को मौजूदा सरकारी स्कूलों को सुदृढ़ करने और संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार बालिकाओं और बालकों के लिए शौचालयों सहित अवसंरचनात्मक सुवधाओं के निर्माण और विस्तार हेतु सहायता प्रदान की जाती है।

\*\*\*\*\*